रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072024-255823 CG-DL-E-28072024-255823

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] No. 566] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

# भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (966).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

#### अनुसूची

क्रम	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा	संशोधनों की	संशोधनों की	तिथि जब तक
सं.	शीर्षक	संख्या एवं तिथि	प्रतिस्थापन तिथि	मानक तीसरे स्तंभ
				में इंगित संशोधन के
				बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ 11615 : 2017 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान — औषधीय उत्पादों की	संशोधन संख्या 1 जुलाई 2024	18 जुलाई 2024	17 अगस्त 2024

4633 GI/2024 (1)

पहचान — औषधी	य उत्पाद सूचना की विशिष्ट		
पहचान और आ	दान-प्रदान के लिए डेटा		
एलिमेंट्	स और स्ट्रक्चर्स		

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./335/2024-25]

#### **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

## (Department of Consumer Affairs)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2024

**Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (966).**— In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

#### THE SCHEDULE

SI No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS/ISO 11615 : 2017  Health Informatics — Identification of Medicinal Products — Data Elements and Structures for the Unique Identification and Exchange of Regulated Medicinal Product Information	Amendment No. 1 July 2024	18 July 2024	17 August 2024

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./335/2024-25]